

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए विधान सभा मार्ग,
लखनऊ, उ0प्र0।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद-चित्रकूट

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./18-19/एस.एस.भ्रमण-चित्रकूट मण्डल/11985 दिनांक: 21-02-19
विषय-सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिन्हित गैप्स/समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 30 जनवरी से 01 फरवरी, 2019 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयो पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बन्धित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिए गए विवरण संलग्न है। कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित कमियों को एवं दिए गए सुझावों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं।

संलग्नक-भ्रमण आख्या

भवदीय,


(पंकज कुमार),
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./18-19/एस.एस.भ्रमण-चित्रकूट मण्डल/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ0प्र0।
2. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, चित्रकूट।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट मण्डल।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, चित्रकूट मण्डल।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, चित्रकूट।

/

(डा0 वेद प्रकाश),
म0नो0अधिकारी,
सहयोगात्मक पर्यवेक्षण
महाप्रबन्धक-आर0आई0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए विधान सभा मार्ग,
लखनऊ, उ०प्र०।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद-चित्रकूट

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./18-19/एस.एस.भ्रमण-चित्रकूट मण्डल/

दिनांक: 21-02-19

विषय-सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिन्हित गैप्स/समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 30 जनवरी से 01 फरवरी, 2019 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयो पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बन्धित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिए गए विवरण संलग्न है। कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित कमियों को एवं दिए गए सुझावों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं।

संलग्नक-भ्रमण आख्या

भवदीय,

(पंकज कुमार),
मिशन निदेशक

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./18-19/एस.एस.भ्रमण-चित्रकूट मण्डल/11985-7 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ०प्र०।
2. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, चित्रकूट।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट मण्डल।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, चित्रकूट मण्डल।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, चित्रकूट।

(डा० वेद प्रकाश),
म०नो०अधिकारी,
सहयोगात्मक पर्यवेक्षण
महाप्रबन्धक-आर०आई०

भ्रमण आख्या जनपद- चित्रकूट
दिनांक 30,जनवरी-01,फरवरी,2019

भ्रमण दल के सदस्य -

डा0-अर्पित श्रीवास्तव परामर्शदाता,आर0आई0
श्री सत्यप्रकाश- कार्यक्रम समन्वयक,आर0आई0

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 30,जनवरी से 01, फरवरी 2019, के मध्य जनपद-चित्रकूट की चिकित्सा इकाईयों- संयुक्त जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-पहारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-मऊ का भ्रमण किया गया तथा जनपद स्तर पर बैठक की गयी। भ्रमण के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कर्मियों के हड़ताल के कारण चिकित्सा इकाईयों पर कार्य प्रभावित पाया गया तथा सम्बंधित आवश्यक डाटा एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाये।

दिनांक 31.01.2019 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जनपद स्तरीय अधिकारियों, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, ब्लाक चिकित्साधिकारी, यूनिसेफ प्रतिनिधि, यू0एन0डी0पी0 प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में पायी गयी कमियों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी निम्न कार्यक्रमों/गतिविधियों में विशेष प्रयास कर सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बैठक- दिनांक 31.01.2019 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जनपद स्तरीय अधिकारियों, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, ब्लाक चिकित्साधिकारी, यूनिसेफ प्रतिनिधि, यू0एन0डी0पी0 प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण में पायी गयी कमियों से अवगत कराया गया तथा सुधारात्मक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया। मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

कार्यक्रमवार-

1. अक्रियाशील उपकरणों को समय से Repair नहीं कराया जा रहा है।
2. अनुपयोगी Condemn योग्य उपकरणों एवं वस्तुओं का Condemn नहीं किया गया है। condemnation committee द्वारा Condemn किया जाना।
3. चिकित्सा इकाईयों पर साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है।
4. बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हेतु अनुबद्ध वेन्डर द्वारा चिकित्सा इकाईयों से वेस्ट समय से नहीं उठाया जा रहा है।

मातृत्व स्वास्थ्य-

1. प्रसव कक्ष अव्यवस्थित-

- 7 ट्रे में आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं।
- अनआवश्यक उपकरण/ सामग्रियों का भण्डारण।
- लेबर टेबल- जंग लगी (जिला संयुक्त चिकित्सालय)
- Sterilization Protocol एवं इन्फेक्शन कंट्रोल का अनुपालन नहीं।
- पुरानी केश शीटों का उपयोग।
- सम्बन्धित आई0ई0सी0 का आभाव।
- सरसों का तेल/एक्सपायरी मेडिसिन पायी गयी।

पी0एन0सी0 वार्ड-

- साफ-सफाई का आभाव, शौचालय की सुविधा नहीं।
- (जिला संयुक्त चिकित्सालय) प्री तथा पोस्ट लेबर मरीज भर्ती, मरीजों के परिजनों से कार्यरत स्टाफ नर्स द्वारा धनराशि (न्यूनतम रू0 500) की वसूली।

आई0ई0सी0-

1. परिसर में अपडेटेड आई0ई0सी0 की कमी। टीकाकरण सारणी, प्रसव कक्ष में सम्बन्धित आई0ई0सी0 की कमी। कोल्ड चेन रूम में प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध नहीं।

एन0आर0सी0

1. कोई भी बच्चा भर्ती नहीं था।
2. ब्लाक द्वारा मात्र आर0बी0एस0के0 की टीमों द्वारा ही

1. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ब्लाक चिकित्साप्रभारियों को CYREX agency का टोल फ्री नं0- 18002700129 तथा श्री राजेश, मो0- 8299844932 (कानपुर मण्डल) से सम्पर्क कर उपकरण शीघ्र सही कराने हेतु निर्देशित किया गया।
2. ब्लाक स्तर पर उपलब्ध अनुपयोगी उपकरण/वस्तुओं की लाइन लिस्ट तैयार कर condemnation हेतु निर्देशित किया गया।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ब्लाक चिकित्सा प्रभारियों को साफ-सफाई के सुपरविजन हेतु किसी कार्मिक को दायित्व सौंपा जाना तथा स्वीपरो द्वारा सफाई का कार्य लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित वेन्डर को इस सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया जाना है। नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है।

1. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ब्लाक चिकित्सा प्रभारियों को प्रसव कक्ष को स्टाफ नर्सों द्वारा व्यवस्थित कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस कार्य में जनपद में उपलब्ध नर्स मॉन्टर द्वारा उचित कार्य साजना बनाकर सहयोग लिया जाना है तथा ब्लाक चिकित्सा प्रभारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर पर्यवेक्षण किया जाने हेतु निर्देशित किया गया।

1. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रिटिंग हेतु टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण की गयी। आई0ई0सी0 सामग्री शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

Satya
SATYA PRAKASH
Programme Coordinator

Dr. Arpit Srivastava
Consultant (RN)

डा0 अर्पित श्रीवास्तव
परामर्शदाता-आर0आई0
एन0आर0सी0-एन0एन0एन0

संदर्भन किया जा रहा है।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम-

- 1.ब्लाक/कोल्ड चेन प्वाइन्ट पर प्रोटोकाल पोस्टर, ए0वी0डी रूट चार्ट, सुपरविजन प्लान, टीकाकरण सारणी, तथा बुलावा पर्ची तथा अद्यतन माइकोप्लान उपलब्ध नहीं।
 - 2.ए0वी0डी0 हेतु पुरानी दर रू0 75 की दर से भुगतान
 - 3.हडताल के दौरान जिला संयुक्त चिकित्सालय में टीकाकरण की कोई व्यवस्था नहीं।
- 2.आर0आई0 का माइकोप्लान उपलब्ध थे किन्तु आई0एम0आई0 के सत्रों को आर0आई0 के सत्रों में सम्मिलित नहीं किया था।
- 3.बैठक के दौरान शून्य व्यय वाले मदों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही यह निर्देशित किया गया कि मार्च तक अधिकतम व्यय सुनिश्चित किया जाय।

FMR CODE	Activities with Zero '0' Expenditure
1.3.2.4	Consumables for computer including provision for internet access for strengthening RI @ Rs. 1000/- per month per District
2.2.9	Measles Rubella SIA operational Cost
2.3.1.1.b	Monthly Village Health and Nutrition Days
2.3.1.9	Focus on slum & underserved areas in urban areas/alternative vaccinator for slums
3.1.3.5	Incentive to link worker for preparation of DUE List of Children to be Immunized @100 per session
6.2.2.9	AEFI Kits @ Rs. 200/- per kit
6.2.8.1	Red/Black plastic bags etc. @ Rs 6/- per session
6.2.8.2	Bleach/Hypochlorite solution/ Twin bucket @ Rs. 500/- per Unit

- 4.जनपद में मोबाइल इम्यूनाइजेशन वैन नहीं चल रही है।
- 5.स्वास्थ्य इकाईयों पर साफ सफाई में कमी,आई0ई0सी0 सामग्री में कमी,अव्यवस्थित प्रसव कक्ष तथा वार्ड पर चर्चा की गयी।

1. मुख्यचिकित्साधिकारी द्वारा ब्लाक चिकित्साप्रभारियों को प्रत्येक ब्लाकों से बच्चों को संदर्भित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

1. जिलाप्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा सभी ब्लाक चिकित्साप्रभारी को नियमित टीकाकरण दिशा निर्देशों के मुख्य बिन्दुओंसे अवगत कराते हुए 1 सप्ताह के भीतर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

2.बैठक में जिलाप्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा सभी ब्लाक चिकित्साप्रभारी द्वारा निर्देशित किया गया कि अतिशीघ्र माइकोप्लान में आई0एम0आई0 के सत्रों को आर0आई0 के सत्रों में सम्मिलित किया जाये।

3. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि सम्बंधित मदों में नियमानुसार फरवरी माह में व्यय करें तथा मार्च तक अधिकतम व्यय सुनिश्चित किया जाये।

साथ ही नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अर्न्तगत अत्याधिक कम व्यय वाले मदों में नियमानुसार व्यय तथा सम्बंधित गतिविधियों पर समीक्षा की गयी।

FMR	Activity	BUDG ET	EX P	% Ex p
5.3.9/C.1.p	Safety Pits	0.59	0.05	8.78
3.1.1.1.11/C.5	ASHA Incentive under Immunization	38.95	19.8	50.8
3.1.3.4/C.1.g	Mobilization of children through ASHA	21.95	12.6	57.6
8.4.10/C.7	RI Cold chain handlers incentive	2.88	0.75	25.9

3.जिला प्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मोबाइल इम्यूनाइजेशन वैन हेतु कोई भी वेन्डर गाड़ी देने को तैयार नहीं है।

4.मुख्यचिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि संविदा कर्मियों की हडताल के कारण कार्य बाधित हो रहा है। तथा हडताल खत्म होते ही उक्त कर्मियों पर सुधारात्मक कार्यवाही की जायेगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-पहारी,

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही
चिकित्सालय परिसर	<ul style="list-style-type: none"> • सिटीजन चार्टर मौजूद नहीं था। • आई0 ई0सी0की कमी पाई गयी। • चिकित्सालय परिसर में प्लेसेन्टा तथा बिना हब कटे प्रयोग की जा चुकी सिरिज एवं अन्य अपशिष्ट सामग्रियां को खुले में निस्तारित पायी गयीं। • परिसर में साफ सफाई नहीं थी। उपरोक्त पर तत्काल कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। 	<ul style="list-style-type: none"> • सिटीजन चार्टर लगाया जाना है। • परिसर में स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं दी जाने वाली सेवाओं की नवीनतम प्रचार प्रसार सामग्री प्रदर्शित किया जाना है। • बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिये रूम का निर्माण किया जाना है तथा स्टाफ को बायो मेडिकल वेस्ट के लिये प्रशिक्षण दिया जाना है। जिसके लिये चिकित्सा अधीक्षक द्वारा 1 माह की समयावधि में पूर्ण करने की समयावधि दी गयी।

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही
व्यय विवरण	<ul style="list-style-type: none"> जनपद स्तर से उपलब्ध कराये गये एफ0एम0आर0 के अनुसार माह दिसम्बर तक कम भुगतान किये गये है। मुख्यतः आशा इन्सेन्टिव, ओरियेन्टेशन ट्रेनिंग, परिवार नियोजन-मेल स्टेरलाइजेशन, नियमित टीकाकरण- समीक्षा बैठक, वी0एच0एन0डी0 सत्रों का सुपरविजन इत्यादि मदों में शून्य व्यय 	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि हडताल खत्म होने पर शेष भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।
इमरजेन्सी एवं इन्जक्सन कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> इलेक्ट्रॉनिक हब कटर मशीन खराब थी जिसमें बिना हब काटे निडिल डिस्पोज की जा रही थी। तथा ब्लिचिंग solution उपयोग नहीं किया जा रहा था। 	<ul style="list-style-type: none"> नया हब कटर मशीन उपलब्ध करायी गयी। तैनात सी0एच0ओ0 को वेस्ट डिस्पोजल की जानकारी दी गयी एवं सही तरीके से डिस्पोज करने हेतु निर्देशित किया गया।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> लाभार्थियों को डाइट एजेन्सी द्वारा बाहर से प्रदान किया जा रहा था। डाइट रजिस्टर नहीं बनाया जा रहा है। डाइट की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी 	<p>टीम द्वारा यह सलाह दी गयी कि मरीजों को दिये गये डाइट के हिसाब से ही रिपोर्टिंग किया जाए।</p>
आशा का भुगतान	<ul style="list-style-type: none"> माह दिसम्बर 2018 तक आशाओं को प्रत्येक मदों में दिसम्बर तक समस्त भुगतान नहीं किया गया था। 	<ul style="list-style-type: none"> टीम द्वारा यह सुझाव दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर आशाओं का समस्त भुगतान कर दिया जाय।
एक्स-रे	<ul style="list-style-type: none"> एक्स रे मशीन में तकनीकी खराबी की वजह से एक्स रे नहीं ले पा रहे थे। 	<ul style="list-style-type: none"> एक्स रे मशीन शीघ्र सही करा कर सुविधा सुनिश्चित करे।
पैथालॉजी	<ul style="list-style-type: none"> टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि चिकित्सा ईकाई पर 5 ग्लूकोमीटर उपलब्ध थे जिनमें से एक भी क्रियाशील नहीं है। खराब ग्लूकोमीटर भी ईकाई पर उपलब्ध नहीं थे। 	<ul style="list-style-type: none"> टीम द्वारा यह सुझाव दिया कि ग्लूकोमीटर उपलब्धता तथा उपयोगिता सुनिश्चित की जाये।
आथेलमोलाजी	<ul style="list-style-type: none"> Vision Cylinder का बल्ब खराब था। 	<ul style="list-style-type: none"> तैनात आप्टोमेट्रिक्स द्वारा आश्वासन दिया गया कि अतिशीघ्र बल्ब चेन्ज करा दिया जायेगा।
प्रसव कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> लेबर रूम के साफ सफाई की कमी पायी गयी। प्रसव कक्ष में शौचालय अत्यन्त गन्दी अवस्था में पाया गया तथा प्रसव कक्ष में पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी एवं शौचालय में पानी का जमाव था जिससे शौचालय उपयोग नहीं किया जा रहा था। लेबर रूम में उपलब्ध रेडियंट वॉर्मर के पास साफ- सफाई नहीं थी। तथा नवजात शिशुओं के लिये स्वच्छ तौलिये का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। Sterlization हेतु आटोक्लेव खराब पाया गया। तथा प्रसव उपरान्त उपयोग किये गये उपकरणों को, पानी से धुल कर पुनः प्रसव के लिये उपयोग किये जा रहे थे, जो कि आपत्तिजनक है। अप्सिस्ट पदार्थों का निस्तारण हेतु कोई भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। लेबर रूम में 7 ट्रे मानकानुसार नहीं पाये गये। ट्रे में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं थीं। साथ ही कुछ expired दवाइयां पायी गयीं तथा सरसों के तेल पाया गया। आक्सीटोसिन को सही ढंग से स्टोर नहीं किया जा रहा था। लेबर रूम से संबंधित समस्त रजिस्टर 	<ul style="list-style-type: none"> अधीक्षक महोदय को वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए प्रसव कक्ष से संबंधित समस्त कार्यों को उपलब्ध मानव संसाधन में विभाजित करने हेतु सुझाव दिया गया। कार्यविभाजन की एक प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराने कराया जाना है। रेडियंट वॉर्मर के पास साफ- सफाई तथा नियमानुसार नवजात शिशुओं हेतु प्रयोग किये जानें हेतु निर्देशित किया गया। आटोक्लेव सही कराने तथा प्रसव कक्ष में Sterlization protocols के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। मानकानुसार अप्सिस्ट पदार्थों का निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। 7 ट्रे को मानकानुसार रखे जाना है। Expired दवाइयों को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए निर्देशित किया गया कि समय-समय पर रखी हुई दवाइयों को चेक किया जाये। सुझाव दिया गया कि ट्रे के ढक्कन पर दवाइयों की सूची लगायी जायें। जिससे समय पूर्ण होने पर चिन्हित दवाइयों को बदला जा सकें। लेबर रूम से संबंधित समस्त रजिस्टर उपलब्ध कराना एवं पूर्ण रूप से भरे जाना है। नई केश शीट पर पार्टोग्राफ भरने के लिये निर्देशित किया गया। प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर तथा आई0ई0सी0 सामग्री लगाया जाना है।

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही
	<p>उपलब्ध नहीं थे। एवं उपलब्ध रजिस्ट्रों को भी मानक के अनुसार नहीं भरा जा रहा था।</p> <ul style="list-style-type: none"> पुरानी केश शीट उपयोग की जा रही थी तथा पार्टोग्राफ नहीं इंगित किया जा रहा था। प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर तथा आई0ई0सी0 सामग्री उपलब्ध नहीं थे। 	
कोल्ड चैन रूम	<ul style="list-style-type: none"> कोल्ड चैन रूम व्यवस्थित था परन्तु प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध नहीं थे। ए0वी0डी0 रूट चार्ट उपलब्ध नहीं था तथा ए0वी0डी0 हेतु रू0 75.00 की दर से भुगतान किया जा रहा था। एक आई0एल0आर0 का स्टेबलाइजर खराब था एम0आई0 के सत्रों को आर0आई0 के माईक्रोप्लान में समायोजन नहीं किया गया। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रोटोकाल पोस्टर लगाये जाने, डीप फ्रीजर में आइस पैक्स को मानकानुसार किसकास तरीके से लगाये जाने का सुझाव दिया गया। ए0वी0डी0 रूट चार्ट तैयार कराया गया तथा नियमित टीकाकरण के दिशानिर्देश 2018-19 से अवगत कराते हुए ए0वी0डी0 हेतु रू0 90.00 की दर से भुगतान किये जानें का सुझाव दिया गया। खराब स्टेबलाइजर को शीघ्र सही करानें हेतु निर्देशित किया गया। एम0आई0 के सत्रों को आर0आई0 के माईक्रोप्लान में समायोजित करने के लिये निर्देशित किया गया।

जिला संयुक्त चिकित्सालय चित्रकूट-

भ्रमण के दौरान मुख्य चिकित्साअधीक्षक अवकाश पर थे। चिकित्सालय का भ्रमण डा0 चौधरी के साथ किया गया एवं सुधारात्मक कार्यवाही हेतु समस्त बिन्दुओं को नोट कराया गया।

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही
चिकित्सालय परिसर	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सालय परिसर में वाहनो के पार्किंग की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। जिससे रोगियो व चिकित्सा वाहन के सुचारू आगमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। परिसर में जगह जगह पान की पीक के निशान पाये गये थे तथा परिसर में पीने के पानी की जगह अत्यन्त गंदी एवं दयनीय थी। परिसर में तथा पी0एन0सी0 वार्ड में आवारा कुत्ते सोते हुए पाये गये। 	<ul style="list-style-type: none"> वाहन पार्क कराने की व्यवस्था के लिये सुझाव दिया गया। क्लीनिंग एजेन्सी सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया कि निर्धारित चेक लिस्ट का उपयोग कर सफाई एजेन्सी के कर्मिको से शिफ्ट में कार्य लेना सुनिश्चित करें। सप्ताह में एक बार क्लीनिंग कराना सुनिश्चित करें। पीने के पानी की जगह पर उपस्थित वाटर कूलर एवं आस पास जमी गन्दगी को साफ कराने के लिये निर्देशित किया गया। आवारा पशु एवं कुत्ते का पाया जाना आप्तिजनक है एवं नवजात अथवा प्रसूता महिला के लिये खतरा है। एक कार्मिक की व्यवस्था कर कुत्तों का प्रवेश रोकने का सुझाव दिया गया।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> लाभार्थियों को डाइट बाहर की एजेन्सी द्वारा प्रदान किया जा रहा था। डाइट रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। 	<p>टीम द्वारा यह सलाह दी गयी कि लाभार्थियों को सही डाइट दिया जाना सुनिश्चित करें। एवं डाइट रजिस्टर maintain करायें।</p>
प्रसव कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> प्रसव कक्ष के बाहर प्रसव कक्ष से सम्बंधित अनुपयोगी उपकरण रखे पाये गये। प्रवेश द्वार पर स्लीपर उपलब्ध नहीं थे तथा प्रसव कक्ष में साफ-सफाई एवं संक्रमण नियंत्रण में कमी पायी गयी। प्रसव कक्ष में प्रसव के लिये तीन टेबल जिन पर जंग लगे हुए थे पर प्रसव कराया जा रहा था। प्रसव कक्ष में ceiling mounted operation light मौजूद है, जो अक्रियाशील है तथा उपकरण द्वारा भविष्य 	<ul style="list-style-type: none"> अतिशीघ्र अनुपयोगी उपकरण हटाये जानें के लिये निर्देशित किया गया। प्रसव कक्ष के लिये अतिशीघ्र स्लीपर की व्यवस्था के लिये निर्देशित किया गया। प्रसव कक्ष के लिये तत्काल नये टेबल की व्यवस्था के लिये निर्देशित किया गया। ceiling mounted operation light को हटाये जानें के लिये सुझाव दिया गया।

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही
	<ul style="list-style-type: none"> में स्टाफ तथा मरीजों के लिये दुर्घटना की सम्भावना बनी हुई है। प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर तथा आई0ई0सी0 सामग्री उपलब्ध नहीं थे। रूम में 7 ट्रे मानकानुसार नहीं पाया गया। ट्रे में आवश्यक दवाईयाँ उपलब्ध नहीं थी। लेबर रूम के साफ सफाई की कमी पायी गयी। प्रसव कक्ष में शौचालय अत्यन्त गन्दी अवस्था में पाया गया तथा प्रसव कक्ष में पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी। मरीजों हेतु नयी case sheet उपलब्ध नहीं थी। तथा प्रसव के दौरान पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा है। प्रसव कक्ष में हाथ धुलने हेतु लगा सिंक पूर्ण रूप से टूटा पाया गया। शौचालय गन्दी अवस्था में पाये गये। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर तथा आई0ई0सी0 सामग्री चस्पा कराने के लिये निर्देशित किया गया। स्टोर से ट्रे उपलब्ध करायी गयीं तथा स्टाफ नर्स के द्वारा 7 ट्रे को मानकानुसार करा गया। लेबर रूम में साफ सफाई, एवं पानी की व्यवस्था के लिये निर्देशित किया गया। स्टाफ नर्स को पार्टोग्राफ बनाने के लिये निर्देशित किया गया। शौचालय की साफ सफाई हेतु निर्देशित किया गया। नया वाश बेसिन लगाये जानें हेतु निर्देशित किया गया।
PNC वार्ड	<ul style="list-style-type: none"> PNC वार्ड में साफ सफाई की कमी थी। वार्ड में संबंधित आई.ई.सी. की कमी पायी गयी। PNC वार्ड में शौचालय की सुविधा नहीं है। PNC वार्ड में pre labor तथा post labor दोनों ही मरीज भर्ती थे। मरीजों से बात चीत के दौरान यह संज्ञान में आया कि प्रसव पश्चात लाभार्थियों से कार्यरत स्टाफ नर्स द्वारा न्यूनतम रु0500 लिया जा रहा है। पी0एन0सी0 वार्ड में कुत्ते घूमते पाये गये। बच्चे के जन्मोपरान्त माँ को सौपे जाने पर परिवार से धनराशि की माँग की जाती है। भर्ती मरीजों के परिजनों द्वारा शिकायत की गयी कि स्टाफ नर्स द्वारा प्रसव के दौरान धनराशि रु0500 ली गयी थी। 	<ul style="list-style-type: none"> PNC वार्ड की समस्त समस्याओं को अतिशीघ्र निस्तारित करने के लिये निर्देशित किया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—मऊ

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही
चिकित्सालय परिसर	<ul style="list-style-type: none"> परिसर में साफ सफाई थी। परिसर में आई0ई0सी0की कमी पाई गयी। 	<ul style="list-style-type: none"> परिसर में स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं दी जाने वाली सेवाओं की नवीनतम आई0 ई0 सी0 लगायी जानी है।
मानदेय, जननी सुरक्षा योजना	<ul style="list-style-type: none"> जनपद स्तर से उपलब्ध कराये गये एफ0एम0आर0 के अनुसार माह दिसम्बर तक कम भुगतान किये गये हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि हडताल खत्म होने पर शेष भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।
प्रसव कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> लेबर रूम में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था थी। प्रसव कक्ष में शौचालय स्वच्छ पाया गया तथा प्रसव कक्ष में पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी। अप्सिस्ट पदार्थों का निस्तारण हेतु कोई भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। लेबर रूम में 7 ट्रे मानकानुसार नहीं पाया गया। ट्रे में आवश्यक दवाईयाँ उपलब्ध नहीं थी। लेबर रूम से संबंधित समस्त रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे। एवं उपलब्ध रजिस्ट्रों को भी मानक के अनुसार नहीं भरा जा रहा था। 	<ul style="list-style-type: none"> अधीक्षक महोदय को वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए प्रसव कक्ष से संबंधित समस्त कार्यों को उपलब्ध मानव संसाधन में विभाजित करने हेतु सुझाव दिया गया। कार्यविभाजन की एक प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराने कराया जाना है। मानकानुसार अप्सिस्ट पदार्थों का निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। 7 ट्रे को मानकानुसार रखे जाना है। सुझाव दिया गया कि ट्रे के ढक्कन पर दवाईयाँ की सूची लगायी जायें। जिससे समय पूर्ण होने पर चिन्हित दवाईयाँ को बदला जा सकें। लेबर रूम से संबंधित समस्त रजिस्टर उपलब्ध कराना एवं पूर्ण रूप से भरे जाना है। पुरानी केश शीट उपयोग न करने पर पार्टोग्राफ सही

	<ul style="list-style-type: none"> • पुरानी केश शीट उपयोग की जा रही थी। तथा पार्टोग्राफ नहीं इंगित किया जा रहा था। • प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर तथा आई०ई०सी० सामग्री उपलब्ध नहीं थे। 	<ul style="list-style-type: none"> • नियमानुसार भरने के लिये निर्देशित किया गया है। • प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर तथा आई०ई०सी० सामग्री लगाया जाना है।
कोल्ड चैन रूम	<ul style="list-style-type: none"> • कोल्ड चैन रूम व्यवस्थित था परन्तु प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध थे। • डीप फ्रीजर में आइस पैक्स को मानकानुसार किसकास तरीके से लगाये गये थे। • ए०वी०डी० रूट चार्ट उपलब्ध नहीं था तथा ए०वी०डी० हेतु रू० 75.00 की दर से भुगतान किया जा रहा था। • एम०आई० के सत्रों को आर०आई० के माईकोप्लान में समायोजन नहीं किया गया। तथा vacant subcentre के लिये प्लान नहीं बनाया गया था। • निस्तारण पिट मानक के अनुसार नहीं थी। 	<ul style="list-style-type: none"> • प्रोटोकाल पोस्टर लगाये जाने, का सुझाव दिया गया। • ए०वी०डी० रूट चार्ट तैयार कराया गया तथा नियमित टीकाकरण के दिशानिर्देश 2018-19 से अवगत कराते हुए ए०वी०डी० हेतु रू० 90.00 की दर से भुगतान किये जानें का सुझाव दिया गया। • एम०आई० के सत्रों को आर०आई० के माईकोप्लान को समायोजन करने के लिये निर्देशित किया गया तथा vacant subcentre के लिये अतिशीघ्र प्लान तैयार करने निर्देशित दिये गये। • पिट मानक के अनुसार बनाये जाने के लिये निर्देशित किया गया।


 SATYA PRAKASH
 Programme Coordinator


 Dr. Arpit Srivastava
 Consultant (RI)


 डॉ० अरुण प्रकाश
 महाप्रबन्धक-आर०आई०
 ए०वी०डी० ए०सी०-ए०आई०